न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 31/2021

1. दीपेन्द्र
2. उपेन्द्र पिसरान रामजीलाल जाति जाटव निवासी पहाडी तहसील पहाडी

प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी (भरतपुर) अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट

1. श्री प्रहलाद सिंह वकील प्रार्थीगण

दिनांक :—13/01/2021

निर्णय

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट बाबत दुरूस्ती नक्शा इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर साविक 1697/1/0.57 हैक्टर बांके पहाडी द्वितीय तहसील पहाडी में स्थित है जिसका हाल नम्बर 2070/0.45 है। वर्णित आराजी प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है जो कि प्रार्थीगण का विरासतन अपने पिता रामजीलाला पुत्र मूसा से प्राप्त हुई थी। प्रार्थी की आराजी साविक खसरा नम्बर 1697/1 था जिसे सैटलमेन्ट विभाग ने सैटलमेन्ट करते समय हाल खसरा नम्बर 2070 बना दिया लेकिन सैटलमेन्ट विभाग ने नये नम्बर बनाते समय हाल खसरा नम्बर 2070 बना दिया लेकिन सैटलमेन्ट विभाग ने नये नम्बर बनाते समय प्रार्थीगण के रकबे 0.57 के स्थान पर 0.45 अंकित किया है जिससे प्रार्थीगण को भारी क्षति हो रही है। जिसे प्रार्थीगण दुरूस्त करा पाने का अधिकारी है। प्रार्थीगण हाल जमाबन्दी सम्बत 2075 लगायत 2078 के खाता नम्बर 191 में खसरा नम्बर 2070 के रकबा 0.45 के स्थान पर रकबा 0.57 हैक्टर दर्ज किया जावें। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर हाल खसरा नम्बर 2070 रकबा 0.45 के स्थान पर 0.57 दर्ज किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी न्यायालय में उपस्थित आया जबाब इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण यह सिद्ध करे की 0.12 हैक्टर रकबा जो कम हुआ है पडौस के निम्न आराजी में मिला दिया है। कमी रकबा व आराजी प्रार्थी सिद्ध करें।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड, जबाब तहसीलदार का गहनता से अध्ययन किया। बंदोबस्त विभाग ने वर्तमान खसरा नम्बर 2070/0.45 बांके ग्राम पहाड़ी को गत खसरा नम्बर 1697/1/0.57 से बनाया है। जो कि वर्तमान में गत की तुलना में 0.12 है0 कम है। प्रार्थी द्वारा इस 0.12 है0 की कमी पूर्ति किस खसरा से की जानी है इसका प्रार्थना पत्र में वर्णन नहीं किया गया है। तहसीलदार पहाड़ी ने भी अपने जबाब में रकबे की कमी पूर्ति के संबंध में कोई उल्लेख नही किया है। प्रत्येक राजस्व ग्राम की कुल भूमि पूर्व की तुलना में समान होती है। खसरा की भूमि में परिवर्तन होने पर कुल भूमि में परिवर्तन होगा। किसी अन्य खसरा में भूमि कम किये बिना शुद्दि किया जाना संभव नही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिले खारिज है।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13/01/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)